(वाद सं0–3325/19)

08.10.2021

प्रस्तुत मामला, परिवादी/सूचक, चिन्ता देवी, पिता, बुधन, साकिन–परसौनी, थाना–साठी, जिला–पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के न्यायालय में दिये गये परिवाद–पत्र के आधार पर द0प्र0स0 की धारा–156(3) के अन्तर्गत भा0द0स0 की धाराओं–376/ 420/ 406/504 के अन्तर्गत संस्थित साठी थाना कांड सं0–162/18, दिनांक–06.10.2018 में आवेदिका डॉ0 नूसरत एजाज शेरखर, के पुत्र व प्राथमिकी के नामांकित अभियुक्त, जरार एजाज शेरखर, पुत्र एजाज शेरखर, सा0–11 बी, साईकिल सोसाईटी गेट नं0–2, कॉटर पुणे, थाना–समार्थ, जिला–पुणे, महाराष्ट्रा को गलत रूप से परिवादी/सूचक, चिन्ता देवी के साथ शादी का झांसा देकार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने तथा बाद में शादी करने से इन्कार करने के आरोप में बेतिया पुलिस द्वारा दिनांक–26.03.2019 को पुणे (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार करने तथा दिनांक–26.03.2019 से दिनांक–17.07.2019 तक अनावश्यक रूप से बेतिया में न्यायिक अभिरक्षा में कारा में संसीमित रखने से संबंधित मामले में संबंधित प्राधिकार द्वारा समर्पित प्रतिवेदन, उक्त प्रतिवेदन पर परिवादी के प्रत्युत्तर व राज्य आयोग के समक्ष सुनवाई के दरम्यान परिवादी के कथन के आलोक में मामले के गुण–दोष के आधार पर राज्य आयोग द्वारा दिनांक–24.11.2020 को आदेश पारित कर राज्य सरकार को पीड़ित, जरार एजाज शेरखर, की माता, नुसरत एजाज शेरखर (परिवादी) को क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रुपये (रू0–5,00,000/–) तथा दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया गया था।

राज्य आयोग के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया व समाहरणालय, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया द्वारा प्रतिवेदन समर्पित कर पीड़ित, जरार एजाज शेरखर, की माता, नुसरत एजाज शेरखर (परिवादी) को क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रुपये (रू0–5,00,000/–) का भुगतान उसके बैंक खाता में कर

दिये जाने तथा दोषी पाये गये पुलिस कर्मी से मुआवजा की राशि वसूल किये जाने से संबंधित सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

अब, जबकि राज्य आयोग के निर्देश के अनुपालन में परिवादी को मुआवजा की राशि का भुगतान किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में प्रसंगाधीन मामले में अब कोई अग्रेत्तर कार्रवाई शेष नहीं रह गई है।

अतः प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश व पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया व प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के प्रतिवेदन (पृ0–145–141/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक